IV 81 /20

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

- 7 OCT 2020

Code-69

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AD 825601

[1]

श्री प्रहलाद स्मॉरक ट्रस्ट

गौतम सिंह यादव

न्यास विलेख (Instrument of Trust)

यह न्यास विलेख आज दिनांक 02 अगस्त 2017 को बलिया में गौतम सिंह यादव पुत्र स्व. विरोधी सिंह यादव निवासी ग्रा. सिलथरी पो. सिद्धी कलॉं तहसील रावर्टसगंज जनपद–सोनभद्र उ0प्र0 द्वारा घोषित किया गया हैं । जिन्हे आगे न्यायकर्ता/संस्थापक कहा जायेंगा क्योकि न्यासकर्ता/संस्थापक द्वारा रूपये 5,000.00 (पांच हजार मात्र) की धनराशि है । न्यासकर्ता/संस्थापक उक्त राशि का अप्रति संहरणीय न्यास बनाने हेतु इच्छुक है जो कि समाज उत्थान एवं विशेष रूप स शिक्षा के क्षेत्र मे कार्य करेगा यह ट्रस्ट श्री प्रहलाद स्मॉरक ट्रस्ट के नाम से जाना- जायेगा तथा कार्य करेगा जिसे की आगे संक्षिप्त में ट्रस्ट भी कहा जा सकेगा। क्योकि ट्रस्ट का न्यासकर्ता मैनेजिंग ट्रस्टी होगा जिसे की आगे ट्रस्ट का अध्यक्ष कहा जा सकेगा। न्यासकर्ता/संस्थापक की यह भी इच्छा है विभिन्न श्रोतो से दान उपकार श्रृण आदि भी सम्मिलित है जिसके द्वारा ट्रस्ट के कोष सम्पदा एवं साधनो की ओर बढ़ाए ताकि ट्रस्ट अपने उद्देश्यों म प्रभावी रूप से सफल हो सके और न्यासकर्ता/संस्थापक ने अपने इच्छा से एक लाख रूपये की नकद राशि ट्रस्ट को प्रदान की है। और. जो कि वर्तमान में इस ट्रस्ट का पंजीकरण कार्यालय ग्रा. सिलथरी पो. सिद्धी कलॉं तहसील रावर्टसगंज जनपद–सोनभद्र रहेगा। एवं प्रशासनिक कार्यालय ग्रा. सिलथरी पो. सिद्धी कलॉं तहसील रावर्टसगंज जनपद–सोनभद्र होगा अधिक सुविधाजनक कार्यालय मिलने पर कार्यालय की समय–समय पर स्थानानतरित किया जाता रहेगा ।

[2]

क्योंकि न्यासकर्ता /ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु नियमावली निम्न प्रकार धाराबद्ध घोषित किया जाता है ।

गौतम सिंह यादव

7533

17-10-2020

श्री प्रहलाद स्मारक ट्रस्ट ग्रा० तिसधरी पो० तिलहीकला तह०
रा०गंज सोनभद्र

500

उ० प्र०

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

2 CF 495299

श्री प्रहलाद स्मॉरक ट्रस्ट

(इण्डियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अन्तर्गत कार्यरत ट्रस्ट)

उद्देश्य एवं नियमावली :-

(1) **ट्रस्ट के उद्देश्य** :-ट्रस्ट निम्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करेगा बिना लिंग भेद किये सबके लिय प्राथमिक पाठशाला, जूनियर हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट कॉलेज, महाविद्यालय, पुस्तकालयों, वाचनालयों, प्रयोगशालाओं, चिकित्सालयों, अनाथलायों, वृद्धाआश्रमों, अनुसंधान केन्द्रों, छात्रावासों, कम्प्यूटर केन्द्रों, निराश्रितों केन्द्रों, सर्वेक्षण केन्द्रों, सामुदायिका विकार केन्द्रों, पर्यावरण, एडस उत्थान केन्द्रों की स्थापना, नामकरण विकास सम्बद्ध-आबद्ध प्रबन्ध संचालन/समाजोत्थान सम्बन्धित समस्त कार्य आदि कर सकता तथा आवश्यकता होने पर विभिन्न परिषदों,

1. .विभागों, प्रतिष्ठानों, संस्थाओं शासन आदि से उन्हे मान्य सम्बद्ध-आबद्ध पंजीकरण करा सकना।
2. ग्राम विकास अभिकरण, गतिविधियों का संचालन करना।
3. खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की योजनाओं का संचालन करना।
4. कृषि कार्य हेतु बंजर भूमि का सुधार एवं कटाव रोक कर जल संरक्षा एवं नमी संरक्षण करना।
5. उद्यानीकरण एवं जंगलात का विकास करना।
6. महिला विकास एवं स्वास्थ्य सहयोग हेतु विविध कार्यक्रम संचालित।
7. प्रतियोगात्मक परीक्षाओं की तैयारी हेतु संस्थाओं की स्थापना करना।
8. कृषि, संगीता सम्बन्धित आदि विषयों की शिक्षा तथा उसके विकास हेतु संस्थान की स्थापना करना।
9. केन्द्र सरकार के सभी विभागों मानव संसाधन, समाजकल्याण, नाबार्ड, कपार्ट, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, समाजकल्याण सलाहकार बोर्ड, महिला कल्याण, नेहरू युवा केन्द्र -

गौतम सिंह यादव

7535 17-10-2020
श्री प्रह्लाद मौरिक ट्रस्ट द्वारा 7533 से
509

आवेदन सं०: 202001005009365

न्यास पत्र

बही सं०: 4 **रजिस्ट्रेशन सं०: 81** **वर्ष: 2020**

प्रतिफल- 5000 स्टाम्प शुल्क- 710 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 100 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 80 योग : 180

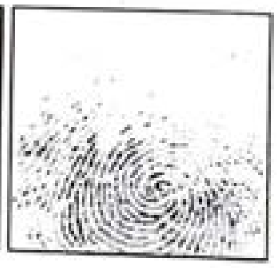

श्री गौतम सिंह यादव ,
पुत्र श्री स्व०विरोधी सिंहयादव
व्यवसाय : व्यापार
निवासी: सिलथरी पो० सिद्धीकला तह० रा०गंज,सोनभद्र

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 19/10/2020 एवं 12:50:15 PM बजे निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

नीरज कुमार पाण्डेय
उप निबंधक :सदर
सोनभद्र
19/10/2020

दिनेश कुमार दिवाकर
निबंधक लिपिक

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CF 495298

3

खेलकूद युवा कल्याण मंत्रालय, विकास मंत्रालय आदि सभी विभागों के कार्यक्रम का संचालन करना

10. आई0आई0टी., आई0टी0आई0, बी0टी0सी0, बी0टेक, पॉलिटेक्निक, फार्मेसी, नर्स ट्रेनिंग, आपरेशन टैंकनिशियन, लैव टैंकनिशियन, फिजियोथिरैपी आदि मेडिकल कॉलेज एवं इन्जीनियरिंग कॉलेजों की स्थापना एवं संचालन करना।

11. समाज के लोगों के लिए हास्पीटल, नर्सिंग होम, स्वास्थ्य केन्द्र, मेडिकल स्टोर, जनरल स्टोर किराना का दुकान, फोटो स्टेट, टाइपिंग, कम्पनी, फर्म इत्यादि की व्यवस्था करना।

12. पुस्तकालय, वाचनालय, पत्र–पत्रिकाओं, समाचार पत्रों इत्यादि का प्रकाशन मुद्रण बिकी एवं मूल्य का निधारण करना ।

13. अंधे, गूंगे, बहरे, असहाय विकलांग लोगों के लिए शिक्षा, चिकित्सा, आवास, भोजन इत्यादि का व्यवस्था करना।

14. विभिन्न विषयों एवं पाठयकमों यथाव्यवहारिका प्रायोगिक कला, वाणिज्यिक, वैज्ञानिक, कीड़ा मार्शल आर्ट, संगीता, तकनीकी, सामाजिक–आधुनिक भाषा, अंग्रेजी, उर्दू, कम्प्यूटर, प्रोफेशनल आदि विषयों का विभिन्न स्तरीय शिक्षा प्रदान करने का प्रबन्ध करना।

15. विभिन्न प्रतियोगिताओं एवं प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं में छात्र–छात्राओं को सफल बनाकर स्वावलम्बी बनाने हेतु उनके अध्ययन, अध्यापन, आवास आदि सुविधओं की व्यवस्था करना।

16. पुस्तकों, साहित्य, पत्रो, पाठ्यकमों आदि का सृजन, सम्पादन, प्रकाशन, मुद्रण, वितरण आदि कर सकना।

17. सांस्कृतिक कार्यकम, पर्यावरण कार्यकम एड्स कार्यकम, अधिवेशन, गोष्ठियों, सम्मेलन, प्रतियोगिताएं, बैठकें, विशेष कक्षाएं, सत्र, प्रोत्साहन कार्यकम आदि आयोजित कर सकना।

18. सिलाई, कढाई, बुनाई, स्कीन प्रिटिंग आदि की शिक्षा एवं व्यवस्था करना।

गौतम सिंह यादव

7534
17-10-2020
श्री प्रह्लाद स्मारक ट्रस्ट ग्रा० 7533 से
50)

आवेदन सं०: 202001005009365

बही स०: 4 रजिस्ट्रेशन स०: 81 वर्ष: 2020

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

न्यासी: 1

श्री गौतम सिंह यादव, पुत्र श्री स्व०विरोधी सिंहयादव

निवासी: सिलथरी पो० सिद्धीकला तह० रा०गंज,सोनभद्र

व्यवसाय: व्यापार गौतम सिंह यादव

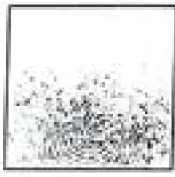

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री आलोक कुमार , पुत्र श्री नौमीराम

निवासी: निब्बू कलीरपुर पो० सरदासपुर रसडा बलिया

व्यवसाय: कृषि आलोक कुमार

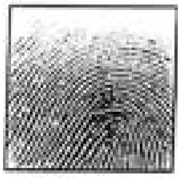

पहचानकर्ता : 2

श्री कृष्णा यादव , पुत्र श्री प्रभिनाथ यादव

निवासी: सागरपाली पो० सागरपाली जिला बलिया

व्यवसाय: कृषि कृष्णा यादव

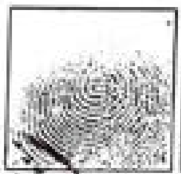

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की । प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।
टिप्पणी :

नीरज कुमार पाण्डेय
उप निबंधक : सदर
सोनभद्र

दिनेश कुमार दिवाकर
निबंधक लिपिक

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

21AE 573451

19. व्यक्ति विशेष एवं अन्य सेसाइटी/ट्रस्ट के द्वारा संचालित विद्यालयों, महाविद्यालयों, मेडिकल कॉलेजों, इन्जीनियरिंग कॉलेजों को अपने ट्रस्ट द्वारा संचालित करना एवं उनका इसे ट्रस्ट में समायोजित कर सकना।
20. ट्रस्ट के उद्देष्यों की पूर्ति हेतु विभिन्न राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों संस्थाओं व्यक्तियों से सहयोग प्राप्त कर सकना अथवा प्रदान कर सकना।
21. विधि सम्पति उपयोगी जानकारी का प्रचार एवं प्रसार कर सकना।
22. आयुर्वेदिक औषधियों का उत्पादन करना एवं उसका प्रचार–प्रसार कर सकना।
23. कृषि उपयोगी कार्य कर सकना एवं उसका प्रचार–प्रसार कर सकना।
24. पर्यावरण को सुधारने हेतु प्रयास कर सकना एवं पर्यावरण सुधार हेतु जानकारी दे सकना एवं सेमिनार कर सकना।
25. एड्स के बारे मे जनजागरण करने हेतु प्रचार–प्रसार कर सकना।
26. पुस्तक–पुस्तिकाएं, पत्र–पत्रिकाएं, समाचार पत्र आदि का प्रकाषित, सम्पादित, वितरित, बिकी कर सकाना।
27. ट्रस्ट द्वारा दी जा रही संवाओं/वस्तुओं के लिए समुचित शुल्क/मूल्य निर्धरित करना तथा प्राप्त करना
28. पत्राचार द्वारा अध्यापन/अध्ययन को प्रोत्साहित कर सकना तथा तत्सविधित आवश्यक व्यवस्थाएं कर सकना।
29. उपभोक्ता अधिकार, पर्यावरण सुधार, ऊसर सुधार जैसे सामाजिक दायित्व के विषयों पर जन चेतना जागृत करने हेतु कार्य कर सकना।
30. धार्मिक स्थलों का निर्माण व जीर्णो द्वारा कर सकना।
31. जन कल्याण हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर सकना तथा कियान्वयन कर सकना।

प्रीतम सिंह यादव

7541

17-10-2020

श्री प्रहलाद गौरक्ष ट्रस्ट ग्राम 7533 मे

(10)

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S 21AE 573452

32. विभिन्न आयोजन एवं कारणों हेतु छात्रवृत्ति पुरस्कार सहायता एवं वित्तिय सहायता, स्मृति चिन्ह आदि प्रदान कर सकना।
33. विभिन्न संस्थाओं/विद्यालयों/महाविद्यालयों/मेडिकल कॉलेज/इंजीनियरिंग कॉलेज प्रतिष्ठानों के विशेषाधिकार प्राप्त कर सकना और अपने विशेषाधिकार अन्य को प्रदान कर सकना।
34. ट्रस्ट के कोष एवं संपदा में वृद्धि करना, विनियोजन करना तथा उसका ट्रस्ट के उद्देश्यों में प्रयोग करना।
35. ट्रस्ट जन सामान्य के द्वितीय कार्य करेगा। ट्रस्ट द्वारा यथासंभव अपनी सेवायें/वस्तुऐं लागत मूल्य पर ही देने का प्रयास करेगा। ट्रस्ट द्वारा जनहित में सड़क, खड़ंजा, तालाबों के निर्माण मछली पालन, पशुपालन आदि का प्रचार कर सकना।
36. ट्रस्ट केवल वित्तीय लाभ के लिए कार्य नहीं करेगा। जन कल्याण की भावना एवं ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करेगा।
37. ट्रस्ट अपने समस्त आय एवं लाभ कालान्तर में ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु ही व्यय करेगा।
38. किसानों के उत्थान एवं विकास हेतु पाली क्लिनिक का निर्माण करना।
39. किसानों के उत्थाना एवं विकास हेतु नवीन बीजों की जानकरी देना। फल एवं औषधि खेती के विषय में जानकारी देना एवं उत्पादन किये गये माल का आयात व निर्यात करना।

(2) प्रारम्भिक उपबन्ध :—

1. वर्तमान में ट्रस्ट डीड के पंजीकृत के दिनांक से गौतम सिंह यादव जो कि न्यासकर्ता एवं इस न्यास विलेख के रचयिता भी है। इस ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष सुनिश्चित किया जाता हैं।

गौतम सिंह यादव

7540

17-10-2020

श्री पुष्पार्क गोरख ट्रस्ट ग्राम 7533 से

10)

रजिस्ट्रार राबर्टसगंज

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

6 21AE 573453

2 यदि कोई अन्य वयवस्था वर्तमान मैनेजिंग अध्यक्ष गौतम सिंह यादव द्वारा रजिस्ट्रार के यही
रजिस्ट्री कर सुनिश्चित न की जाय जो भी गौतम सिंह यादव की मृत्यु के पश्चात् हर्षवर्धन
यादव पुत्र गौतम सिंह यादव ट्रस्ट के ट्रस्टी होंगे। आदि गौतम सिंह यादव के लड़के बालिक न
हो तो उनकी पत्नी श्रीमती पुनम यादव इस ट्रस्ट की तब तक मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष होंगी जब
तक कि हर्षवधर्न यादव, कनून रूप से बालिक न हो जाये।

3 वर्तमान मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष अपने जीवन काल में ही जब चाहे अपना उत्तर दायित्व अपने
उत्तरदायित्वों को स्थानान्तरित कर सकते है ।

4 यदि श्री गौतम सिंह यादव के मृत्यु के समय लड़के नाबालिगक होते है जो उनकी ओर से
उनकी माँ श्रीमती पुनम यादव मैनेजिंग ट्रस्टी का कार्य तब तक संभालेगी, जब तक कि हर्षवर्धन
यादव कानून रूप से बालिक न हो जाय।

(3) **मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष पद का <u>उत्तराधिकरी/हस्तान्तरण</u> :—**

1. का कर्तवय है कि अपने जीवन काल में अपने उत्तराधिकारी मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की व्यवस्था
कर दें।

2. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष अपने जीवन काल में मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का पद किसी को प्रदान
कर सकता है ।

3. किसी भी व्यक्ति के मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष बनते ही उसे वह सभी अधिकार प्राप्त हो जायेगें जो
इस ट्रस्ट डीड के मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष को प्रदत्त किये गये ।

4. कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा अपने उत्तराधिकारी की घोषणा न कर पानें एवं व्यवस्था करने से
पूर्व मृत्यु हो जाने की अवस्था में मैनेजिंग/अध्यक्ष पद पर आसीन व्यक्ति का व्यक्तिग
उत्तराधिकार अधिनियम की व्यवस्था से मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है।

7539
17-10-2020

श्री प्रहलाद स्मारक ट्रस्ट ग्रा० 7533 से

10)

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

7 21AE 573455

5. कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष को चाहिए कि वह अपने उत्तराधिकारी मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष लिखित रूप से अपने हस्ताक्षर करके व्यक्त कर दें। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष यह व्यवस्था रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्टर्ड करा के अथवा वसीयत द्वारा भी संनिश्चित कर सकता है इस सन्दर्भ में यह भी स्पष्ट करना है कि कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा अपने जीवन काल के उत्तरार्ध में की गयी वसीयत/इच्छा/व्यवस्था ही अन्तिम रूप से मान्य होगी।

6. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष अपने जीवन काल में अपना कार्यभार अपने उत्तराधिकारी को वास्तविक रूप से हस्तान्तारित कर देता है तो वह निर्णय पर पुनः विचार नहीं कर सकेगा।

7. कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्ट/अध्यक्ष तभी अपने उत्तराधिकरी हस्तानान्तरण विषय पर विचार पुनः विचार करने के हेतु स्वतंत्र है जब तक कि वास्तविक रूप से कार्यभार अपने उत्तराधिकारी को न प्रदान कर दे।

8. कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा अपने उत्तराधिकारी को दिया गया। कार्यभार हस्तान्तरण समस्त अधिकारों सहित पूर्ण जाना जायेगा।

(4) बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज :–

1 यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष यदि उचित समझे तो विषयों पर विचार विमर्श करने पर सलाह प्राप्त करने हेतु बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का गठन कर सकता है, जिसमें अधिकतम ग्यारह सदस्य होंगे।

2 यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी व्यक्ति ट्रस्टीमनोनीत करते समय उसका कार्यकाल स्पष्ट करेगा। ट्रस्टी की कार्य अवधि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की इच्छा पर निर्भर करती है तथा

गौतम सिंह यादव

7538 17-10-2020

श्री प्रहलाद [illegible] ग्रा० 7533 से

10

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

8 21AE 573456

मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी व्यक्ति का कार्यकाल समाप्त होने के पुर्व ही बिना किसी को कोई कारण बताए ट्रस्टी के पद से हटा सकता है।

3. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष जब भी उचित समझे बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक आयोजित कर सकता है, जिसकी अध्यक्षता मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष स्वयं करेगा।

4. यह कि बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज उन्हीं विषयों पर विचार करेगा तथा सुझाव देगा, जिनको कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा संनिश्चित किया जायेगा।

5. यह कि बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज द्वारा किये गये किसी भी सुझाव को मानना स्वीकार करना अथवा अस्वीकार करना पूर्णतया मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष के द्वारा लिया गया निर्णय ही मान्य एवं अन्ति होगा।

(5) अध्यक्ष/मैनेजिंग ट्रस्टी कार्यकाल एवं सुविधाएँ

1 यह कि अध्यक्ष/ट्रस्टी को ट्रस्ट द्वारा विभिन्न सुविधाओं से युक्त कार्यालय एवं वाहन की सुविधा उपलब्क्ष करायी जायेगी। इन सुविधाओं के स्तर को सुनिश्चित करने में मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का निर्णय ही अन्तिम रूप से मान्य होगा।

2 यह कि अध्यक्ष/ट्रस्टी अपना उत्तरदायित्व वहन करते हुए ट्रस्ट से मासिक मानदेय/भत्ते आदि पर यदि कोई आयकर लगता है जो ट्रस्टी/अध्यक्ष स्वयं अपनी प्राप्त आय से ही आयकर का भुगतान करेगा। ट्रस्ट इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

(6) कार्यक्षेत्र :–

ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारत होगा सामाजिक उत्थान हेतु विश्व के किसी राष्ट्र व व्यक्ति विशेष सहायता एवं राय प्राप्त कर सकता है अथवा सहायता व राय दे सकता है।

गौतम सिंह यादव

7537

17-10-2020

श्री प्रह्लाद स्मारक ट्रस्ट क्र० 7533 से

(10)

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

9 21AE 573457

(7) मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का विशेषाधिकार

मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष को यह विशेषाधिकार प्राप्त होगा कि वह ट्रस्ट के अन्तर्गत किसी भी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा लिए गये निर्णय में हस्तक्षेप कर निरस्त/स्वीकृत/अस्वीकुत संशोधित कर दे। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष ट्रस्ट के कार्य–कलापों में किसी भी स्तर पर कोई भी दिशा निर्देश दे सकता है जो सभी सम्बन्धित पक्षों को अन्तिम रू‍ से मान्य एवं स्वीकार होगा।

(8) सचिव/उपसचिवों की नियुक्ति :–

1. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष ट्रस्ट के दिन प्रतिदिन के कार्यों को करने एवं देखभाल करने के लिए ट्रस्ट के लिए सचिव एवं आवश्यकता पड़ने पर एक अथवा अधिक उपसचिवों की नियुक्ति कर सकेगा।
2. यह कि सचिव/उपसचिवों के वेतन भते सुविधाएं कार्य नियम मैनेजिंग/अध्यक्ष द्वारा निश्चित किया जायेगा।
3. यह कि उक्त सचिव/उपसचिव मैनेजिंग ट्रस्टी के अनुग्रह तक पद प्रसाद र्प्यन्त कार्य करेंगे। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी समय बिना कोई कारण बताये उक्त पदों पर कार्यरत व्यक्तियों के विरूद्ध प्रशासनिक/विधिक/अनुशासनात्मक/प्रशसात्मक कार्यवाही कर सकता है अथवा उक्त पक्षों के अधिकार कर्तव्य किसी अप्य व्यक्ति को हस्तान्तरित/प्रदान कर सकता है।

(9) उपाध्यक्ष की नियुक्ति :–

1. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष, ट्रस्ट के दिन प्रतिदिन के कार्यों को करनें व देखभाल करने के लिए एक
2. उपाध्यक्ष की नियुक्ति एवं आवश्यकता पड़ने पर अधिकतम दो उपाध्यक्षों की नियुक्ति कर सकेगा।

गौतम सिंह यादव

7536

17-10-2000

19

श्री [illegible] द्वारा क्र० 7533 में

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

/D21AE 573459

2 यह कि उपाध्यक्ष/उपाध्यक्षों के वेतन भते सुविधाएँ कार्य मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा निश्चित किये जायेंगे

3 यह कि उपाध्यक्ष/उपाध्यक्षों, मैनेजिंग ट्रस्टी अनुग्रह तक प्रसाद पर्यन्त कार्य करेंगे। मैनेजिं ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी समय बिना किसी को कोई कारण बताये उक्त पदों पर कार्यरत व्यक्तियों क विरुद्ध प्रशासनिक/अनुशासनिक/प्रशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है अथवा उक्त कार्यरत व्यक्ति को उनके पदों से हटा सकता है तथा इन पदों पर नियुक्तियाँ कर सकता है अथवा उक्त पदो क कर्तव्य एवं अधिकर किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित प्रदान कर सकता है।

(10) अध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य :–

यह किसी ट्रस्ट डीड के अन्तर्गत अध्यक्ष/ट्रस्टी को प्राप्त विभिन्न अधिकार एवं कर्तव्यों के अतिरिक्त अध्यक्ष/ट्रस्टी के निम्न अधिकार एवं कर्तव्य भी होंगे–

(क) बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक बुलाना एवं उसकी अध्यक्षता करना।

(ख) ट्रस्ट के समस्त कार्यों का उत्तरदायित्व ढंग से देख–रेख करने के लिए उपाध्यक्ष सचिव उपसचिवों की नियुक्ति करना।

(ग) इस डीड में उल्लिखित ट्रस्ट के उद्देश्यों एवं नियमावली में संशोधन/परिवर्तन कर सकना जो कि रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्टीकृत होने के दिनांक से मान्य होगा।

(11) उपाध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य :–

अध्यक्ष/ट्रस्टी की अनुपस्थिति में अध्यक्ष की लिखित अनुमति से अध्यक्ष द्वारा बताये गये विषय पर विचार–विमर्श हेतु बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक बुलाना एवं अध्यक्षता करना परन्तु उपाध्यक्ष बिना अध्यक्ष की अनुमति के कोई निर्णय नहीं ले सकता।

(12) सचिव के अधिकार एवं कर्तव्य :–

7546

17-10-2020

श्री प्रह्लाद स्मारक ट्रस्ट आ० 7533 से

10)

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 21AE 573458

ट्रस्ट के समस्त कार्यों के लिए ट्रस्ट का सचिव अन्तिम रूप से कार्यरत एवं उत्तरदायी है। ट्रस्ट के सचिव के नित्य कर्तव्य एवं अधिकार हैं।

1. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु सभी उपाय एवं कार्यवाही करना।
2. ट्रस्ट के अन्तर्गत होने वाले सभी कार्य–कलापों एवं दिन–प्रतिदिन की गतिविधियों पर नियंत्रण रखना ।
3. ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित कार्यो हेतु पदाधिकारियों की नियुक्ति पदमुक्त तथा उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक/प्रशासनिक कार्यवाही कर सकना।
4. विभिन्न कार्य–कलापों, उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतु कोष्ठों/विभागों/केन्द्रों/संस्थाओं/उप संस्थाओं का गठन कर सकना तथा उनके संयोजकों/निदेशकों पदाधिकारियों आदि की संचालन हेतु आवश्यकता अनुसार नियम/उप नियम बना संकना।
5. ट्रस्ट संख्या को प्राप्त किसी षिकायत की जाँच निर्णायक नियुक्त कर सकना।
6. एक से अधिक विशेष कार्यधिकारी नियुक्त होने की स्थिति में उनका कार्य विभाजन कर सकना।
7. प्रचार/प्रसार/मुद्रण,/प्रकाशन/विक्रय की सर्वोत्तम व्यवस्था करना।
8. जन सामान्य के कल्याणार्थ विभिन्न आयोजन कर सकना।

(13) उप सचिवों के अधिकार एवं कर्तव्य :–

1. सचिव की अनुपस्थिति में उनके पद के अधिकार एवं कर्तव्य का पालन करना।
2. सचिव द्वारा लिखित रूप से प्राधिकृत करने पर उन अधिकारों/कर्तव्यों का पालन करना जो उसे लिखित रूप से प्राप्त हैं।
3. सचिव द्वारा लिखित रूप से प्राप्त से कार्यभार/कर्तव्य का पालन करना।

गौतम सिंह यादव

7545

17-10-2020

श्री प्रह्लाद स्मारक ट्रस्ट क्र० 7533 से.

10)

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

12 21AE 563991

(14) बैंक एकाउन्ट :-

1. ट्रस्ट का खाता किसी भी बैंक में खोला जा सकेगा। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष स्वयं अथवा उसके द्वारा इस हेतु अधिकृत व्यक्ति मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा दिये गये दिर्नेशों के अन्तर्गत खाता खोला सकता है अथवा संचालित कर सकता है।
2. ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित अथवा कार्यरत किसी भी विद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान/केन्द्र/कार्यकम/इकाई/कार्यालय का पृथक नाम से बैंक खाता खोला एवं संचालित किया जा सकता है। इस स्थिति में स्वयं ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत बैंक खाता खोला जा सकता है अथवा संचालित किया जा सकता है।

(15) विधिक कार्यवाही :-

यदि संस्था/ट्रस्ट की तरफ से कोई विधिक कार्यवाही की जाती है या उसके विरूद्ध कोई विधिक कार्यवाही होती है तो सचिव/अध्यक्ष की अनुमति से अधिवक्ता की नियुक्ति एवं विभिन्न न्यायालयों में पैरवी स्वयं या अन्य को अधिकृत कर सकता है।

(16) सम्पत्ति सम्बन्धी :-

1. ट्रस्ट चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में वह सभी अधिकार रखता है जो कि एक नागरिक व्यक्ति को प्राप्त होते है।
2. ट्रस्ट की ओर से चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में ट्रस्ट की ओर से कोई निर्णय लेने/लेख/विलेख बनाने हेतु अध्यक्ष किसी व्यक्ति को अधिकृत कर सकता हैं

गौतम नरेंद्र यादव

7544
17-10-2020

श्री प्रहलाद पब्लिक ट्रस्ट म्ला० 7533 में

101

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 13 21AE 563992

3. ट्रस्ट का अध्यक्ष ट्रस्ट की ओर से चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी लेख/विलेख एवं निर्णय करने हेतु पूर्णतया समर्थ एवं अधिकृत है।

4. ट्रस्ट चल/अचल सम्पत्ति का कय/विकय कर सकता है रेहन रख सकता है, किराये पर दे सकता है, ले सकता है अथवा दे सकता है।

5. ट्रस्ट किसी से श्रृण दान, उपहार, भेंट सम्मान पुरस्कार, स्मृति चिन्ह मानदेय आदि प्राप्त कर सकता और दे सकता है।

6. ट्रस्ट धन को कही भी विनियोजित कर सकता है, सुरक्षित कर सकता है किसी बैंक संस्था, कम्पनी आदि की किसी योजना में धन/सम्पत्ति का विनियोजन कर सकता है।

7. चल/अचल सम्पत्ति, प्रतिभूत, भाड़ा कय, अनुज्ञप्ति, बंधक, भारित गिरवी, विभाजित आदि कर सकता है/ले सकता है/दे सकता है। वर्तम ान मे ट्रस्ट के पास कोई चल /अचल सम्पत्ति नही है।

(17) विशेष :–

(क) इस ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित/कार्यरत किसी भी विद्यालय/महाविद्यालय/कार्यकम/इकाई/कार्यालय/संस्था उपकम के कार्य संचालन हेतु पृथक के नियम/उपनियम बनाये जा सकते है, परन्तु यदि वह इस डीड ऑफ ट्रस्ट श्री प्रहलाद स्मॉरक ट्रस्ट के उद्देश्य एवं नियमावली के किसी भी प्राविधान का अतिकमण करते है व नियम/उप नियम, अतिकमण की सीमा तक शुन्य होंगे।

(ख) अध्यक्ष/ट्रस्टी उचित समझे तो किसी/किन्ही परिस्थितियों में इस ट्रस्ट डीड के किसी/किन्ही प्राविधन/प्राविधनों को शिथिल कर सकते हैं तथा प्रविधान/प्राविधानों के होते हुए भी अन्यथा निर्णय ले सकते है। इस सम्बन्ध में अध्यक्ष का विवेक व्यवस्था हो अन्तिम होगी। इस धारा अन्तर्गत अध्यक्ष द्वारा की गई किसी कार्यवाही को कहीं भी किसी न्यायालय में सुनौती नहीं दी जा सकेगी।श्री प्रहलाद स्मॉरक ट्रस्ट की उक्त न्यास चिलेख एवं उसमें सन्निहित

7543

17-10-2020

श्री प्रहलाद पौरिक ट्रस्ट क्रमांक 7533 ने

10)

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

21AE 563993

श्री प्रहलाद स्मॉरक ट्रस्ट के उद्देश्य एवं नियमावली एतद् द्वारा अधिनियमित, अनुमोदति, घोशित, स्वीकृत, आत्मर्पित एवं तत्काल से कार्याविन्त की जाती है कि उक्त न्यास विलेख को पढ़कर एवं समझकर व्यवहार में लाने हेतु निम्न साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर कर दिये गये।

सक्षीगण–

1. नाम आलोक कुमार S/o नौमीराम
पता ग्रा0 मिल्कू कबीरपुर पो0 सरदासपुर रसड़ा-बलिया
9616694610

गौतम सिंह यादव
संस्थापक / अध्यक्ष
श्री प्रहलाद स्मॉरक ट्रस्ट
गौतम सिंह यादव

2. नाम
पता कृष्णा यादव S/o प्रभुनाथ यादव
ग्राम पता सागरपाली- पो0 सागरपाली
जिला बलिया 9451922163

मसविदाकर्ता
19/10/2020

दिनांक-
19/10/2020

7542 17-10-2020

श्री प्रदक्षा ... 7533 से

(10)

आवेदन सं०: 202001005009365

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 133 के पृष्ठ 47 से 74 तक क्रमांक 81 पर
दिनाँक 19/10/2020 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

नीरज कुमार पाण्डेय
उप निबंधक : सदर
सोनभद्र
19/10/2020